

क्र./टीए 6/2016-17/1616-17
प्रति,

विदिशा दिनांक: 5/4/2016

माननीय श्री कल्याण सिंह ठाकुर
विधायक विदिशा विधानसभा क्षेत्र 144
जयप्रकाश मंच विदिशा (म.प्र.)

विषय:- वर्ष 2015-16 में केंचुआ खाद वितरण के संबंध जानकारी बावत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2145 दिनांक 03.01.2016 , पत्र क्रमांक 2193
दिनांक 16.01.2016 एवं पत्र क्रमांक 2442 दिनांक 29.03.16

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में निवेदन है कि माननीय द्वारा
चाही गयी केंचुआ खाद वितरण संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर श्रीमान की ओर
सादर प्रेषित है।

क्रमांक	कितना कय किया गया	किस दर से कय किया गया मात्रा प्रति क्विंटल में	किस एजेंसी से खरीदा गया
1	825 (क्विं.)	रुपये 589.32 प्रति क्विंटल	जिला विपणन संघ जिला विदिशा

संलग्न- कृषक सूची

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला विदिशा
विदिशा दिनांक: 5/4/2016

क्र./टीए 6/2016-17/1616-17
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला विदिशा।

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला विदिशा

सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
भोपाल (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विदिशा (म.प्र.)

परिशिष्ट (क) पृष्ठ क्र. 1 से 4

अनुविभागीय अधिकारी
म० प्र० शासन
कृषि विभाग [शाखा - 2].

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

कमांक / शिकायत / 2016 / 425

भोपाल, दिनांक 6 जून, 2016

// आदेश //

उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला विदिशा द्वारा विभागीय योजनांतर्गत नॉन एफसीओ/नॉन सी.आई.बी. उत्पादों को अनुदान पर किसानों को वितरित किये जाने की जांच हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया जाता है:-

1- श्री बी.एम. सहारे	अपर संचालक कृषि	अध्यक्ष
2- श्री के.पी. अहरवाल	संयुक्त संचालक कृषि	सदस्य
3- श्री एस0एम0बालपाण्डे	संयुक्त संचालक कृषि	सदस्य
4- श्री ए0के0रस्तोगी	संयुक्त संचालक कृषि	सदस्य

उक्त समिति उपरोक्तनुसार उत्पादों के योजनावार कय एवं वितरण से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ जांच प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी ।


संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 जून, 2016


कमांक / शिकायत / 2016 / 426

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- 3- आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
- 4- निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0भोपाल ।
- 5- कलेक्टर जिला विदिशा ।
- 6- संबंधित श्रीअपर/संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल ।
- 7- संयुक्त संचालक, किसान तथा कृषि विकास, भोपाल संभाग भोपाल ।
- 8- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा (म0प्र0)
- 9- आदेश नस्ती ।


संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश


सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
भोपाल (म.प्र.)

426/2016 (रव) पुस्तक क्र. 1

विभाग अंतर्गत फाइल नं. 3079
संचालनालय

4/2/2016 (252)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश


क्रमांक/शिकायत/2016/432

भोपाल, दिनांक 07/06/2016

//आदेश//

उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा द्वारा विभागीय योजनांतर्गत नॉन एफ.सी.ओं./नॉन सी.आई.बी. उत्पादों को अनुदान पर किसानों को वितरित किये जाने की जाँच हेतु संचालनालयीन आदेश क्रमांक/ शिकायत/ 2016/ 425-26, दिनांक 6 जून 2016 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर उक्त जाँच दल विभागीय योजनांतर्गत नॉन एफ.सी.ओं./नॉन सी.आई.बी. उत्पादों एवं निम्न गुणवत्ता की वर्मीकम्पोस्ट का अनुदान पर किसानों को वितरित किये जाने की जाँच भी करेगी।



संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिकायत/2016/433

भोपाल, दिनांक 07/06/2016

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश मंत्रालय भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल।
- 3- आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
- 4- कलेक्टर, जिला भोपाल।
- 5- निज सहायक, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल।
- 6- संबंधित श्रीअपर संचालक/संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.भोपाल।
- 7- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल संभाग भोपाल,म.प्र.।
- 8- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा,म.प्र.।
- आदेश नस्ती।



संचालक

किसान कल्याण तथा किसान विकास
मध्यप्रदेश



सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
भोपाल (म.प्र.)

4/2/2016 (25) पृष्ठ 3, 1, 2

अनुभाषा अतिरिक्त

म० प्र० शासन

कृषि विभाग [शाखा - 2].